मंत्री द्वारा वक्तव्य

12.56 म- प.

माले में हुआ पांचवां सार्क शिखर सम्मेलन

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : 21 से 23 नवम्बर, 1990 के बीच आयोजित पांचवें सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मैं मालदीव गया था। इस शिखर सम्मेलन के परिणाम माले घोषणा में तथा इस शिखर सम्मेलन के अन्त में जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में निहित हैं। इन दस्तावेजों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 1905/91]

मालदीव में अपने प्रवास के दौरान मैंने बंगलादेश के भूतपूर्व राष्ट्रपति इरशाद से, मालदीप के राष्ट्रपति गयूम से, पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री नवाज शरीफ से तथा श्रीलंका के प्रधान मंत्री विजयतुंग से अलग-अलग बातचीत की। माले में मुझे भूटान के महामहिम नरेश तथा नेपाल के प्रधान मंत्री भट्टाराई से भी भेंट करने का सुअवसर मिला लेकिन इन दोनों नेताओं के साथ विस्तृत बातचीत नई दिल्ली में की गई जहां के इस शिखर सम्मेलन के तुरन्त बाद बाद पहुँच रहे थे।

भारत ने इस शिखर सम्मेलन में और शिखर सम्मेलन से पूर्व होने वाली बैठकों में कई पहल कदमियों को जो सभी स्वीकार की गई और जिन्हें माले घोषणा तथा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में स्थान दिया गया।

हमारे सुझाव पर सार्क के अन्तर्गत क्षेत्रीय सहयोग का विस्तार जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी किया गया है।

सम्मेलन में हमारा यह प्रस्ताव भी स्वीकार हुआ कि क्षेत्रीय परियोजनाएं तय करने और उनके विकास के लिए एक कोष की स्थापना की जाए जिसके लिए वित्त की व्यवस्था सदस्य देशों के राष्ट्रीय विकास बैंक करें। हम इन बैंकों के प्रतिनिधियों की एक बैठक में बुलाएंगे जिसमें इस कोष के संचालन की ठोस-ठोस तरीके तय किए जाएंगे।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मसलों पर मंत्री स्तर की दूसरी बैठक की भी मेजबानी करेगा जिसमें उरुग्वे व्यापार वार्ता के निष्कर्षों की समीक्षा की जाएगी और पर्यावरण एवं विकास के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र के आगामी सम्मेलन के में सदस्य देशों की नीतियों में समन्वय स्थापित किया जाएगा। इस बात पर सहमति हुई कि मंत्री स्तर की यही बैठक क्षेत्रीय संसाधन जुटाने के लिए एक कार्य नीति तैयार करेगी जिससे इस क्षेत्र में व्यक्तिगत और समष्टिगत आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलेगा और वह सुदृढ़ होगी।

हमने यह सुझाव भी दिया और इस पर निर्णय भी हो गया कि कुटीर उद्योग और हस्त शिल्प के क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए ताकि इस क्षेत्र में सामूहिक आत्म-निर्भरता बढ़ाने के लिए एक मंच तैयार हो।

इस शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि तीन अतिरिक्त क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए जायें अर्थात् पाकिस्तान में मानव संसाधन विकास केन्द्र, भारत में सार्क प्रलेखन केन्द्र और नेपाल में सार्क क्षय रोग केन्द्र। हम भारत में सार्क प्रलेखन केन्द्र की स्थापना की दिशा में आवश्यक कदम शीघ्रतापूर्वक उठा रहे हैं।

इस सार्क शिखर सम्मेलन को कई अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी रही। हम इस क्षेत्र में पर्यटन बढ़ाने पर सहमत हुए। हमने अपने समाचार पत्र संघों के बीच और अधिक सम्पर्कों को सुविधाजनक बनाने का फैसला किया। हमने 1990 के दशक को बालिका दशक घोषित किया। हमने सार्क यात्रा दस्तावेज लागू किया जिससे कुछ वर्गों के लोग बीजा के बिना यात्रा कर सकेंगे। हमारे विदेश मंत्रियों ने स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थों के संबंध में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय अभिसमय पर हस्ताक्षर किए।

राष्ट्रपति गयूम के साथ मेरी बहुत सौहार्दपूर्ण और मित्रतापूर्ण बातचीत हुई। चूंकि हमारे बीच कोई द्विपक्षीय समस्या नहीं है, इसलिये हमने आपसी सहयोग की कुछ प्रमुख परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया और इनके बारे में हम पूरी तरह एकमत थे। राष्ट्रपति गयूम ने भारत यात्रा का मेरा निमंत्रण कृपा पूर्वक स्वीकार किया। वे बहुत शीघ्र हमारे देश की यात्रा पर आयेंगे।

प्रधान मंत्री नवाज शरीफ के साथ अपनी द्विपक्षीय बातचीत में मैं उनके रचनात्मक रवैये से प्रभावित हुआ। उनके साथ बातचीत से यह प्रकट हुआ कि वे इस बात को भली-भांति जानते हैं कि दोनों देशों के बीच संबंधों की विषमता कितनी मंहगी पड़ सकती है। और इस बात को भी कि सहयोगपूर्ण संबंध कितने लाभकारी हो सकते हैं।

मैंने उनकी भावनाओं की पूरी कद्र करते हुए ऐसे ही विचार व्यक्त किए और अपने दोनों देशों के बीच विश्वास और भरोसा पुनः कायम करने में उनका सहयोग मांगा।

मैंने पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों में आतंकवाद को सीमा पार से लगातार मिल रहे समर्थन के बारे में अपनी चिन्ता जाहिर की। मैंने बलपूर्वक यह बात कही कि हमारे संबंधों में यह एक गम्भीर अड़चन है। हम इस बात पर सहमत हुए कि भारत और पाकिस्तान के बीच के सभी मतभेदों को शांतिपूर्वक और बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए और इन विभिन्न अनसुलझे मसलों पर बातचीत की प्रक्रिया पुनः शुरू होनी चाहिए।

हमारी इस बैठक के परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की बैठक हुई है तथा हमारे संबंधों के बीच के तनाव को कम करने के लिए परस्पर विश्वास बढ़ाने की दिशा में कई उपायों पर उनमें सहमति की दिशा में प्रगति हुई है। उन्होंने सर क्रीक में सू-सीमा को अंकित करने, तुलबुल नौवहन परियोजना जैसे मसलों पर बातचीत पुनः शुरू करने का समय आदि तैयार करने तथा उपायोगों को बैठकें बुलाने के संबंध में निर्णय लिया है।

प्रधान मंत्री विजयतुंग के साथ अपनी मुलाकात में मैंने श्रीलंका में जातीय संघर्ष निरन्तर चलने पर अपनी चिन्ता व्यक्त की जिसमें दोनों ओर से बड़ी संख्या में लोग हताहत हो रहे हैं जिनमें असैनिक लोग भी शामिल हैं और जिसकी वजह से शरण में शरणार्थियों का आना बढ़ गया है।

मैंने इस बात पर भी बल दिया कि श्रीलंका की सरकार को भारत में श्रीलंका से आने वाले शरणार्थियों को रोकने और जो लोग यहां आ गए हैं उन्हें वापस लौटाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए तथा अपने यहां ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी चाहिए जिससे कि वे शीघ्र श्रीलंका लौट सकें। हमने व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में अपना सहयोग बढ़ाने की सम्भावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया।

1-00 म. प.

अपनी बात खत्म करने से पहले मैं एक बार फिर यह कहना चाहूंगा कि भारत सार्क के अन्तर्गत दक्षिण एशियाई सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। यह हमारे आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए व्यष्टिगत और समष्टिगत आत्मनिभरता के निर्माण के लिए और बहुपक्षीय वार्ताओं में अपनी बात मनवाने की शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। संसार में आर्थिक एकीकरण की वर्तमान प्रवृत्ति के संदर्भ में इस प्रकार का सहयोग आज और भी आवश्यक हो गया है। माले शिखर सम्मेलन को अपनी ठोस उपलब्धियां हैं। सार्क अब व्यापार, उद्योग, ऊर्जा, मुद्रा, वित्त और पर्यावरण जैसे ठोस आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए तत्पर है। जरूरत इस बात की है कि हममें इन क्षेत्रों में विश्वास के साथ राजनैतिक इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने की क्षमता हो। अपने आकार, अपने संसाधन और विकास के अपने स्तर के अनुरूप भारत निरन्तर जिम्मेदारी निभाता रहेगा और जहां जरूरी होगा वहां त्याग भी करेगा ताकि सार्क क्षेत्रीय सहयोग का एक प्रभातकारी सोर सम्पूर्ण उद्यम बन सके।

दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन के सदस्य देशों के राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों की ओर से 23 नवम्बर, 1990 को जारी माले घोषणा

बंगलादेश जन गणराज्य के राष्ट्रपति महामान्य श्री हुसैन मोहम्मद इरशाद, भूटान नरेश महामहिम नरेश जिग्मे सिग्ये वांगचुक, भारत गणराज्य के प्रधान मन्त्री महामान्य श्री चन्द्रशेखर, मालदीप गणराज्य के राष्ट्रपति महामान्य मोमून अब्दुल गय्यूम, नेपाल के प्रधान मंत्री परम सम्माननीय कृष्ण प्रसाद भट्टाराई, पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य के प्रधान मंत्री महामान्य श्री मोहम्मद नवाज शरीफ और लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य श्रीलंका के प्रधान मंत्री श्री दीनगिरी बंदा विजेतुंग 21 से 23 नवम्बर, 1990 तक माले में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन के पांचवें शिखर सम्मेलन के मिले।

2. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात को दोहराया कि इस क्षेत्र के लोगों के जीवन-स्तर को बेहतर बनाने के लिए दक्षिण एशिया के देशों के बीच सहयोग जरूरी है। उन्होंने अपना यह दृढ़ मत दोहराया कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थायित्व कायम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस क्षेत्र के देशों के बीच पारस्परिक सद्भाव, सहयोग और अच्छी प्रतिवेशिता के संबंध कायम किए जाएं। उन्होंने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन के उद्देश्यों और सिद्धान्तों के प्रति अपनी वचनबद्धता को पुनः पुष्टि की और समान उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में सार्क के तत्वावधान में अपने सहयोग को और बढ़ाने का पुनः संकल्प लिया।

3. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने बलपूर्वक यह बात कही कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर और गुट निरपेक्ष सम्मेलन के सिद्धान्तों का सख्ती से अनुपालन करते हुए, खासतौर पर सम्प्रभुतात्मक

समानता, प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, शक्ति का प्रयोग न करने, दूसरे राज्यों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के सिद्धान्तों के प्रति विशेष सम्मान करते हुए इस क्षेत्र में शांति, स्थायित्व और सौहार्दता संवर्धित करना चाहते हैं।

4. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि 1985 में सार्क की स्थापना तथा दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से एकीकृत कार्ययोजना शुरू करने से इस क्षेत्र के लोगों में उत्साह बढ़ा है और आशा जागी है तथा दक्षिण एशिया में एक जागरूकता भी आ गई है जो क्षेत्रीय सहयोग की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है और धीरे-धीरे विकसित भी हो रही है। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र की जनता में सद्भाव, विश्वास और समझ-बूझ की जो रचनात्मक स्थिति विद्यमान है, उसका वे अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तथा सार्क को एक ऐसा सक्रिय माध्यम बना देंगे जो अपने उद्देश्यों में सफल हो सके तथा जिससे पारस्परिक सम्मान, समानता, सहयोग और पारस्परिक लाभ पर आधारित एक व्यवस्था कायम हो सके।

5. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने दक्षिण एशिया में बच्चों की स्थिति पर विचार किया और यह देखा कि हाल ही में जो विश्व बाल सम्मेलन हुआ था उससे इस दिशा में किए जा रहे प्रयत्नों को एक नई प्रेरणा मिली है। उनका यह विश्वास था कि विश्व शिखर सम्मेलन की संगत सिफारिशों का, दक्षिण एशिया के संदर्भ में एक कार्य योजना में लाभप्रद तरीके से इस्तेमाल करके इसके कार्यान्वयन पर हर वर्ष विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार की कार्य योजना के मार्ग-निर्देशक सिद्धान्त विशेषज्ञों के एक दल द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जिनका चयन सार्क महासचिव कर सकते हैं। इस कार्य-योजना का स्वास्थ्य एवं जनसंख्या संबंधी कार्यकलाप विषयक तकनीकी समिति भी निरीक्षण कर सकती है। उन्होंने बाल अधिकार संबंधी अभिसमय पारित किए जाने तथा उसे लागू किए जाने का स्वागत किया। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि जो सदस्य राज्य अभी तक इस अभिसमय के पक्षकार नहीं बने हैं वे शीघ्र ही इसके पक्षकार बनेंगे।

6. शासनाध्यक्षों अथवा राज्याध्यक्षों ने जून, 1990 में इस्लामाबाद में आयोजित 'विकास में महिलाओं के योगदान' के संबंध में सार्क की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक की सिफारिशों की पुष्टि की। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि वर्ष 1990 को "सार्क बालिका वर्ष" के रूप में मनाने पर सदस्य राज्यों ने सामूहिक तौर पर उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने यह निर्णय किया कि बालिकाओं की समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए 1991-2000 ईसवी का दशक "सार्क बालिका दशक" के रूप में मनाया जाना चाहिए।

7. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ रहा है। उन्होंने नशीली दवाइयों के अवैध व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रीय शस्त्र व्यापार और आतंकवादी गतिविधियों के बीच बढ़ते हुए गठजोड़ पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने स्वीकार किया कि वर्ष 1989 को नशीली औषधियों के प्रयोग और उनके अवैध व्यापार के लिए सार्क वर्ष के रूप में मनाए जाने से इस भीषण समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करने की दृष्टि से बहुत जोरदार प्रभाव पड़ा है और इस बात की आवश्यकता को भी

बहुत सराहा गया है कि इस समस्या को जड़मूल से समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि चौथे सार्क शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुरूप "नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेन्सज" संबंधी सार्क अभिसमय पर माले में हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने सदस्य राज्यों का आह्वान किया कि इस अनुसमय के अनुसमर्थन के लिए शीघ्र उपाय करें ताकि इसे कार्यान्वित किया जा सके। वे इस ओर से पूर्णतः आश्वस्त थे कि इस अभिसमय से इस क्षेत्र में सार्क के प्रयासों को अधिक कारगर बनाने में सहायता मिलेगी।

8. उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं एवं पर्यावरण के संरक्षणों और परिरक्षणों के कारणों और परिणामों से संबंधित क्षेत्रीय अध्ययन को पूरा करने की समय-सीमा के विषय में मंत्रिपरिषद के निर्णय की पुष्टि की। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि "ग्रीन हाउस इफैक्ट" और इसके प्रभाव पर अध्ययन शुरू करने से संबद्ध रीति को जो निकट भविष्य में अन्तिम रूप दे दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह इच्छा भी व्यक्त की कि यह अध्ययन छठे शिखर सम्मेलन में विचारार्थ पूरा हो जाना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने इस बात पर गौर किया कि सघन वर्षा के क्षेत्रों का विश्वभर में लगातार विनाश होने की वजह से जलवायु संबंधी परिवर्तनों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है तथा उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि प्रस्तावित अध्ययन में इस पक्ष को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि इन अध्ययनों से पर्यावरण एवं प्राकृतिक विपदा-प्रबंध के क्षेत्र में सार्थक सहयोग की एक कार्य योजना तैयार हो सकेगी।

9. इस बात को मानते हुए कि पर्यावरण प्रमुख सार्वभौम चिन्ता का विषय बन गया है, राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर-सरकारी पैनल द्वारा अप्रत्याशित जलवायु परिवर्तन के सम्बन्ध में की गई पूर्व सूचना पर गौर किया। उन्होंने विश्व समुदाय से अनुरोध किया कि वे अतिरिक्त वित्त जुटाएं तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराएं ताकि विकासशील देश जलवायु परिवर्तन और समुद्रीय स्तर के ऊंचा हो जाने से उत्पन्न हुई चुनौतियों का सामना कर सकें। उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि सदस्य देशों को इस मसले पर अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थितियां समन्वित करनी चाहिए। उन्होंने वर्ष 1992 को "सार्क पर्यावरण वर्ष" के रूप में मनाने का फैसला किया।

10. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने संतोष के साथ इस बात पर गौर किया कि व्यापार, विनिर्माण एवं सेवाओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय अध्ययन पूरा हो गया है। उन्होंने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि क्षेत्रीय अध्ययन मन्त्रिपरिषद द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे क्षेत्र के लोगों की समृद्धि के लिए सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे।

11. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने यात्रा दस्तावेजों के बारे में मन्त्रिपरिषद की सिफारिशों को स्वीकार किया और यह सेवा शुरू करने का फैसला किया।

12. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि सदस्य राज्यों को मजबूर होकर अपने दुर्लभ संसाधनों को आतंकवाद को दबाने के लिए लगाना पड़ रहा है। उन्होंने आतंकवाद के दमन के सम्बन्ध में सार्क क्षेत्रीय अभिसमय के क्रियान्वयन के लिए तेजी से

सक्षम उपाय करने का आह्वान किया। उन्होंने सदस्य राज्यों से अभिसमय के अनुसार सहयोग जारी रखने का भी अनुरोध किया।

13. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर गौर किया कि आज उनके देश अगली सहस्राब्दी की दहलीज पर खड़े हैं जबकि संसार आज जबरदस्त परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है जिन्हें लोकतन्त्र, मुक्ति और मानवाधिकारों का प्रयोग करने, सैद्धान्तिक बाधाओं को दूर करने तथा सार्वभौम तनाव को कम करने तथा सार्वभौम संघर्ष के लिए तथा निरस्त्रीकरण की दिशा में प्रगति तथा बहुत सी क्षेत्रीय और सार्वभौम समस्याओं के निराकरण के रूप में अभिव्यक्ति मिल रही है। उन्होंने सार्वभौम अर्थव्यवस्था में उदारता की प्रवृत्ति का तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के विश्व अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में एकधार होने की प्रवृत्ति का स्वागत किया। उन्होंने सार्वभौम उत्पादन खपत और व्यापार की प्रणाली की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का तथा विश्व अर्थव्यवस्था ढांचे की बढ़ती हुई बहुरूपता तथा अपनी प्रौद्योगिक गति और प्रतियोगी रुख को बनाए रखने के लिए विकासशील देशों की मण्डियों के एकीकरण की प्रवृत्ति पर भी गौर किया। इन परिवर्तनों ने नई चुनौतियां प्रस्तुत की हैं तथा दक्षिण एशियाई देशों और शेष विकासशील विश्व के लिए नए अवसर दिए हैं। राज्याध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष इस बात से सन्तुष्ट थे कि इन उद्देश्यों पर अधिक प्रभावी ढंग से चलने के लिए उनका आपसी सहयोग काफी महत्वपूर्ण हो सकता है।

14. विकासशील देशों की दीर्घकालिन खाद्य सुरक्षा के लिए जैव-प्रौद्योगिकी और औषधीय प्रयोजनों के अत्यावश्यक महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने निर्णय लिया कि इस क्षेत्र में सहयोग को और विशेष रूप से आनुवंशिक संरक्षण के विशिष्ट ज्ञान के आदान-प्रदान तथा जनन-द्रव्य बैंकों के रख-रखाव को बढ़ाया जाए। इस सम्बन्ध में उन्होंने भारत द्वारा प्रशिक्षण सुविधाएं देने के प्रस्ताव का स्वागत किया और इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि विभिन्न सार्क देशों के पास उपलब्ध आनुवंशिक संसाधनों की सूची बनाने में सहयोग करने से पारस्परिक लाभ होगा। विकासशील देशों के लिए आनुवंशिक बैंक की स्थापना के लिए 15 विकासशील देशों के समूह (जी-15) के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए राज्याध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष इस उद्यम में सहयोग देने को तैयार हो गए।

15. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने क्षेत्रीय परियोजनाओं के लिए एक कोष की स्थापना करने के विचार का स्वागत किया। इस कोष से क्षेत्रीय परियोजनाओं का पता लगाने और उनका विकास करने के लिए आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा। वे इस बात पर सहमत हुए कि सदस्य देशों के राष्ट्रीय विकास बैंकों के प्रतिनिधि कोष के स्रोतों को ठोक-ठीक रूप-रेखा तैयार करने के लिए और ऐसे तरीके निकालने के लिए परस्पर विचार-विमर्श करेंगे जिससे इन्हें संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के साथ सम्बद्ध किया जा सके। उन्होंने भारत द्वारा इस बैठक की मेजबानी करने के प्रस्ताव का स्वागत किया।

16. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने खाड़ी में घटित हाल की घटनाओं को तनाव-शैथिल्य, सहयोग और झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाए जाने वर्तमान प्रवृत्ति के विपरीत अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के रूप में लिया। उन्होंने इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के पालन की पुनः पुष्टि की। इस मसले के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कुवैत से इराकी सेनाओं की शीघ्र और बिना किसी शर्त पर वापसी की मांग की

और वहाँ की बैध सरकार की बहाली की मांग की । उन्होंने कहा कि खाड़ी संकट से उनकी अर्थ-व्यवस्था पर भयंकर आघात पहुंचा है । प्रेषणों में आई भारी कमी, उनके निर्यात को नुकसान पहुंचने और तेल की कीमतों के बढ़ जाने से उनके भुगतान सन्तुलन की स्थिति को धक्का लगने के कारण उन्हें जो हानि हुई है उसकी प्रतिपूर्ति के लिए उन्हें बड़े पैमाने पर अन्तर्राष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता है । उन्होंने इन प्रतिकूल परिणामों से उत्पन्न प्रभावों को कम करने के लिए पारस्परिक सहयोग की सम्भावनाओं को स्वीकार किया ।

17. राज्याध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर संतुष्टि जाहिर की कि 1989 में संयुक्त राष्ट्र में छोटे राज्यों की रक्षा और सुरक्षा के लिए मालदीव की सरकार ने जो पहलकदमी की थी और जिसका सभी ने समर्थन किया था, उसे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का भी व्यापक समर्थन मिला है । वे इस बात पर सहमत हुए कि छोटे राज्यों की अपनी विशेष किस्म की समस्याएं हैं, इसलिए उनकी स्वतन्त्रता और प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा के लिए विशेष उपायों की जरूरत है ।

18. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने आशा व्यक्त की कि शस्त्र नियन्त्रण पर की महा शक्तियों के बीच वार्ता का निष्कर्ष उनके नाभिकीय अस्त्रागारों में भारी कमी किए जाने की सहमति के रुप मे होगा जिसके माध्यम से बाद में नाभिकीय शस्त्रों को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकेगा । सार्वभौम शस्त्र कटौती के लिए अपनाए जाने वाले उपायों का स्वागत करते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि सदस्य राष्ट्रों के बीच आपसी विश्वास तथा भरोसे को बढ़ाकर इस उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है । उन्होंने निरस्त्रीकरण तथा विकास के बीच के सम्बन्धों का उल्लेख किया तथा सभी राष्ट्रों से विशेषत: जिनके पास भारी मात्रा में नाभिकीय तथा परम्परागत शस्त्रागार हैं, से मांग की कि वे अतिरिक्त वित्तीय साधनों, मानव शक्ति तथा सृजनात्मक कार्यों को विकास की दिशा में लगाएं । उन्होंने रासायनिक अस्त्रों पर रोक लगाए जाने तथा व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध संधि पर शीघ्र निर्णय लिए जाने का समर्थन किया । इस सम्बन्ध में, उन्होंने आंशिक परीक्षण प्रतिबन्ध संधि को व्यापक नाभिकीय परीक्षण प्रतिबन्ध संधि में परिवर्तित किए जाने से सम्बन्धित संशोधनों पर विचार करने के लिए जनवरी, 1991 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बुलाए जाने का स्वागत किया ।

19. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि विकासशील देशों की अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति, संसाधनों के प्रतिकूल प्रवाह, व्यापार में अत्यधिक अवरोध, गम्भीर विदेशी ऋण समस्याओं तथा अधिक ब्याज दर की है । अत: सार्क देशों के लिए अधिक रियायती साधनों तथा प्रौद्योगिकी और साथ ही उनके निर्यात के लिए मंडियां उपलब्ध कराने की आवश्यकताओं को कम महत्व नहीं दिया जा सकता । उन्होंने आपसी हितों पर आधारित सामूहिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता की मांग की तथा यह अनुभव किया कि परस्पर आश्रित सम्मान प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से उत्तर दक्षिण विचार-विमर्श किया जाए ।

20. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने 1985 में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मसलों पर इस्लामाबाद में हुई प्रथम मंत्री स्तर की बैठक की उपयोगिता को दोहराया । वे इस बात पर सहमत हुए कि उरुग्वे दौर के परिणामों की समीक्षा करने के लिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में, जिसमें पर्यावरण तथा विकास से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1992 शामिल है, स्थिति को समन्वित करने के लिए 1991 में भारत में मन्त्री स्तर की ऐसी दूसरी बैठक आयोजित की जाए ।

21. अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक समता के प्रयासों को जारी रखने के लिए राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने स्वावलम्बन के उद्देश्यों के लिए मंत्री स्तरीय बैठक की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने मंत्रियों को क्षेत्रीय साधनों को संचालित करने की नीति तैयार किए जाने का निदेश दिया। इससे क्षेत्र में अलग-अलग और सामूहिक स्वावलम्बन को उत्साह और बल मिलेगा।

22. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने पेरिस घोषणा (1990) तथा अल्पविकसित देशों से संबद्ध द्वितीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों द्वारा स्वीकार की गई कार्ययोजना को अपना समर्थन दिया। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से कार्ययोजना के सफल कार्यान्वयन में सहयोग देने की मांग जो क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

23. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने साउथ एशिया के लोगों को स्वदेशी प्रौद्योगिकी जानकारी तथा सामग्री का अनुकूलन उपयोग करके बेहतर आवास उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकताओं पर जोर दिया तथा निर्णय किया कि 1991 का वर्ष "सार्क शरण-स्थल वर्ष" के रूप में मनाया जाए।

24. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने नोट किया कि सार्क क्षेत्र में लाखों अपंग रह रहे हैं तथा उनकी कठिनाइयों को कम करने और उनके जीवन में सुधार लाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जानी जरूरी है। उन्होंने वर्ष 1993 "सार्क अपंग व्यक्तियों का वर्ष" मनाने का फैसला किया।

25. राज्याध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष इस बात से विशेष रूप से प्रसन्न थे कि पांचवां सार्क शिखर सम्मेलन और मालदीव की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ एक ही समय सम्पन्न हुई। इससे उन्हें मालदीव की सरकार तथा लोगों के प्रति अपनी एकजुटता की भावना प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हुआ। उनका विचार था कि माले शिखर सम्मेलन से क्षेत्रीय सहयोग के लाभों को समेकित करने और सार्क के संस्थागत आधार को मजबूत करने में सहायता मिली है।

26. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने 1991 में छठे सार्क शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए श्रीलंका सरकार के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया।

27. बंगलादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका के राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने मालदीव के राष्ट्रपति की बैठक के अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेवारियों को शानदार ढंग से निभाने के लिए हार्दिक सराहना की। उन्होंने मालदीव की सरकार का तथा लोगों का उन्हें उपलब्ध कराई गई सुविधाओं तथा बैठक के दौरान उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए आभार प्रकट किया।

माले में आयोजित पांचवे सार्क शिखर सम्मेलन के अन्त में 23 नवम्बर, 1890 को जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

बंगला देश के राष्ट्रपति, भूटान के नरेश, भारत के प्रधानमंत्री, मालदीव के राष्ट्रपति, नेपाल के प्रधान मंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तथा श्रीलंका के प्रधानमंत्री 21 से 23 नवम्बर, 1990 तक माले में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन के पांचवे शिखर सम्मेलन के लिए

एकत्र हुए। उनकी यह बैठक हार्दिकता, सौहार्दता तथा पारस्परिक सद्भाव के वातावरण में हुई।

2. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने सार्क के सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति अपनी वचन-बद्धता की पुनः पुष्टि की और सार्क के तत्वावधान में अपने पारस्परिक सहयोग को और सुदृढ़ करने का संकल्प लिया। उन्होंने माले घोषणा जारी की।

3. उन्होंने नारकोटिक ड्रग्स और साईकोट्रोपिक सब्सटैंस विषयक सार्क अभिसमय पर माले में मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया तथा इस अभिसमय का शीघ्र अनुसमर्थन करने के उपाय करने का वचन दिया।

4. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात का फैसला किया कि वे एक "विशेष सार्क यात्रा दस्तावेज" शुरू करेंगे जिसके धारकों को इस क्षेत्र में यात्रा के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं रहेगी। उन्होंने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, राष्ट्रीय संसदों के सदस्यों, राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाओं के अध्यक्षों तथा उन पति/पत्नियों और आश्रित बच्चों को यह दस्तावेज प्राप्त करने का हक होगा।

5. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने मंत्रि-परिषद के इस निर्णय की पुष्टि की कि 1991 की पहली छमाही में संगठित पर्यटन को सर्वाधिक करने से संबद्ध योजना शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने सदस्य राज्यों के पर्यटन उद्योगों के बीच संस्थागत सहयोग के प्रस्ताव का भी स्वागत किया ताकि इस क्षेत्र से बाहर के पर्यटकों को और बड़ी संख्या में आकृष्ट किया जा सके।

6. उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि सभी सदस्य राज्यों ने अपने यहां व्यापार, विनिर्माण और सेवा संबंधी राष्ट्रीय अध्ययन का कार्य पूरा कर लिया है। उन्होंने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि क्षेत्रीय अध्ययन का कार्य भी निर्धारित समय सीमा में पूरा कर लिया जाना चाहिए।

7. उन्होंने यह फैसला किया कि कुटीर उद्योग और दस्तकारी के क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों की स्थापना की दिशा में तत्काल उपाय शुरू किये जाने चाहिए जिससे कि क्षेत्र के भीतर सामूहिक आत्म-निर्भरता बढ़ाने के लिए संघ तैयार हो सके। उन्होंने सार्क महासचिव को निदेश दिया कि वे सार्क क्षेत्र से 2-3 विशेषज्ञों का चयन करके एक दल का गठन करें। जो एक दस्तावेज तैयार करे। जिसमें संयुक्त उद्यमों की स्थापना के तौर-तरीके सुझाए गए हों, वित्तीय स्रोत बताए गए हों और अन्य तमाम ब्यौरे दिए गए हों जिस पर मंत्रिपरिषद अपनी अगली बैठक में विचार कर सके।

8. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने क्षेत्रीय आर्थिक कोष की स्थापना के प्रस्ताव पर गौर किया तथा स्थायी समिति को यह निर्देश दिया कि वह इस प्रस्ताव पर अपनी सिफारिशें दे जिस पर मंत्रि-परिषद के अगले अधिवेशन में विचार किया जा सके।

9. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने सामूहिक प्रचार-तंत्र के क्षेत्र में सार्क के सदस्य राज्यों के बीच सहयोग के महत्व पर बल दिया और सार्क महासचिव को यह निर्देश दिया कि वे

सार्क तत्वावधान में इस क्षेत्र के पत्रकार परिसंघों/एसोसिएशनों, समाचार अभिकरणों और सामूहिक प्रचार-तंत्रों के बीच और अधिक पारस्परिक कार्यकलाप को सुविधाजनक बनाए।

10. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने सूचना के आदान-प्रदान और रिपोर्टों के आदान-प्रदान तथा अध्ययनों, प्रकाशनों को यूरोपीय समुदाय तथा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र एसोसिएशन (आसियां) के साथ प्रारम्भ में सहयोग के निर्धारित क्षेत्रों में सूचना का आदान-प्रदान करने का अधिकार सचिवालय को दिए जाने का स्वागत किया।

11. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि पाकिस्तान में मानव संसाधन विकास केन्द्र स्थापित करने का काम ठीक चल रहा है। उनका यह मत था कि इस केन्द्र से इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अधिकतम क्षेत्रीय सहयोग प्राप्त करने की दिशा में योगदान मिलेगा।

12. उन्होंने इस बात का आह्वान किया कि एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में, एक व्यापक रूपरेखा के अन्तर्गत कार्यकलापों को सुविधाजनक बनाने के लिए क्षेत्रीय योजना, "सार्क 2000-बुनियादी जरुरतों की प्राप्ति के संदर्भ में" को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

13. उन्होंने निदेश दिया कि आयोजकों को "गरीबी निवारण" संबंधी नीतियों पर गहराई से विचार करना चाहिए जिससे कि समुचित सिफारिशें तैयार की जा सकें।

14. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने यह फैसला किया कि बालिकाओं की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए ईसवी सन् 1991-2000 का दशाब्द "सार्क बालिका दशाब्द" के रूप में मनाया जाएगा। वे सार्क बालिका अपील से बहुत प्रकाशित हुए जिसमें बालिकाओं ने अपील की है कि उन्हें स्नेह मिलना चाहिए तथा उनकी समुचित देखभाल होनी चाहिए और जिसमें उन्होंने अपने बालपन का अधिकार भी मांगा है। उन्होंने अपने इस संकल्प को दोहराया कि सामान्यतः सभी बालकों का कल्याण, और विशेषतः बालिकाओं का कल्याण, उनकी प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर रहेगा।

15. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मंचों पर सार्क सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच नियमित विचार-विमर्श के महत्व पर बल दिया जिससे कि, जहां तक मुमकिन हो, समान हित-चिन्ता के मामलों पर ये एकजुट रवैया अख्तियार कर सकें। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मंचों पर मन्त्रिस्तर की दूसरी बैठक 1991 में भारत में करने का फैसला किया।

16. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने दक्षिण एशिया के लोगों को रहन-सहन की बेहतर परिस्थितियां मुहैया कराने की तात्कालिक आवश्यकता पर बल दिया और यह निर्णय लिया कि "बेघरों" की समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए वर्ष 1991 "सार्क शरण-स्थल वर्ष" के रूप में मनाया जायेगा। उन्होंने यह भी फैसला किया कि इस विचार के आधार पर प्रत्येक देश अपने-अपने यहां कार्यक्रम आयोजित करेगा तथा अपने अनुभवों को एक-दूसरे के साथ अदल-बदल करेंगे जिससे कि इस क्षेत्र के लोग "सार्क शरण-स्थल वर्ष" से व्यावहारिक लाभ उठा सकें।

17. उन्होंने यह फैसला किया किया कि प्राकृतिक विनाश के कारण और परिणाम तथा पर्यावरण के संरक्षण और परिरक्षण से संबद्ध क्षेत्रीय अध्ययन तथा "ग्रीन हाउस इफैक्ट" संबंधी

अध्ययन तथा सार्क क्षेत्र पर इसका प्रभाव अगले शिखर सम्मेलन से पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जब तक ये अध्ययन कार्य पूरे नहीं हो जाते, सदस्य राज्यों को इस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उन्होंने तय किया कि वर्ष 1992 को वे "सार्क पर्यावरण वर्ष" के रूप में मनाएगे।

18. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सार्क क्षेत्र में रहने वाले करोड़ों अपग व्यक्तियों के दुख-दर्द को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है। उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान आकृष्ट करने तथा उनके जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उन्होने वर्ष 1993 को "सार्क अपंग-व्यक्ति वर्ष" के रूप में मनाने का फैसला किया।

19. उन्होंने यह निर्णय किया कि 1991 को सार्क शरणस्थल वर्ष, 1992 को सार्क पर्यावरण वर्ष तथा 1993 को सार्क अपग-व्यक्ति वर्ष के रूप में मनाने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। इन क्षेत्रों मे सार्क देशों के लोगों का अधिकतम लाभ पहुंचाने तथा लोगों को इन विषयों के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से क्रमश: श्रीलका, मालदीव और पाकिस्तान राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन के लिए कार्यकलाप की योजनाए परिचालित करेगे।

20. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर गौर किया कि "सार्क कृषि सूचना केन्द्र ने ढाका में अपना काम शुरु कर दिया है। उन्होंने यह निश्चय किया कि क्रमश: नेपाल और भारत में सार्क उपयोग केन्द्र तथा सार्क दस्तावेज केन्द्र स्थापित किए जायेंगे। उन्हाने निदेश कि इन दोनों केन्द्रों का स्थापना की दिशा में तत्काल आवश्यक कार्रवाई की चाहिए।

21. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि सार्क के तत्वावधान में आयोजित की जाने वाली बैठकों में अधिक से अधिक काम करने की और कार्यात्मक शैली कायम की जानी चाहिए। उन्होने पांचवे सार्क शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष और बंगलादेश के राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि इस दिशा मे सदस्य राज्यों के साथ विचार-विमर्श शुरु किया जाना चाहिए।

22. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने मंत्रि-परिषद के अध्यक्ष को यह निदेश दिया कि वे सार्क की गतिविधियों को युक्तियुक्त बनाने की दिशा में अपनी सिफारिशें तैयार करें जिससे कि एसोसिएशन को अधिक कारगर तरीके से चलाया जा सके।

23. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने सार्क सचिवालय के प्रारंभिक वर्षों के दौरान इसके प्रथम महासचिव की हैसियत से राजदूत अबुल एहसान ने जो अपनी कार्य किया है, उसकी सराहना की। उन्होंने राजदूत अबुल एहसान के उत्तराधिकारी के रूप में राजदूत श्री कांत किशोर भार्गव का स्वागत किया तथा सार्क की चालू गतिविधियों में उनके बहुमूल्य योगदान की सराहना की।

24. उन्होंने इस सुखद संयोग पर बहुत खुशी जाहिर की कि सार्क का पांचवां शिखर सम्मेलन मालदीव की स्वतंत्रता का 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है और इस संयोग के कारण ही उन्हें मालदीव की जनता और मालदीव की सरकार के साथ अपनी एकजुटता खुद अभिव्यक्त करने का मौका मिला।